राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1725/2014/बांसवाडा

बबलू पुत्र श्री नानकू
निवासी जोबत जिला–अलीराजपुर(मध्यप्रदेश) अपीलार्थी

बनाम

1.कमलेश चौधरी पुत्र रामचन्द चौधरी
निवासी अनुज्ञापतधारी कुशलगढ,जिला बांसवाडा
जरिए जिला आबकारी अधिकारी,बासवाडा
2.राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर
3.जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थितः
श्री राकेश अरोडा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री मुकेश भार्गव
अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से

निर्णय दिनांक 23.04.2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा उक्त अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9–ए(क) के अन्तर्गत आयुक्त, आबकारी राजस्थान,उदयपुर द्वारा अपील संख्या 15/14 में निर्णय दिनांक 15.07..2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2014–15 के लिए मदिरा बिक्री हेतु निविदा जारी होने पर अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका एरिया,कुशलगढ पर दुकान हेतु निविदा भरी गई,जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा वर्ष 2014 के लिए दिनांक 20.02.2014 को लॉटरी प्रक्रिया से अपीलार्थी को सफल आवेदक चयनित किया जाकर कुशलगढ नगर पालिका क्षेत्र में खुदरा बिक्री हेतु भारत द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु वर्ष 2014–14 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक लाइसेन्स फीस अपीलार्थी द्वारा जमा कराये जाने पर मदिरा एवं बीयर की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञा पत्र दिनांक 01.04.2014–2015 के लिए अपीलार्थी के नाम जारी किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18.04.2014 को अपीलार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया,जिसमें अंकित किया गया कि नगर पालिका कुशलगढ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु भरी गई निविदा में आपके चयन के विरूद्ध प्रथम आरक्षित रहे प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि आपके विरूद्ध न्यायालय प्रथम श्रेणी जोबेट(मध्य प्रदेश) में अभियोग संख्या 38/12 दिनांक 30.01.2012 पंजीकृत है,इसलिए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950(जिसे आगे

आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र हेतु पात्रता नही रखता है,अतः अपीलार्थी का कुशलगढ नगर पालिका क्षेत्र में खुदरा बिक्री हेतु भारत द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु वर्ष 2014—14 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर उसे (प्रत्यर्थी संख्या एक) को आवंटित किया जाये। जिला आबकारी,बांसवाडा द्वारा अधिनियम की धारा 34 में उल्लेखित नियमों अथवा नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट,1985 तथा सी.आर.पी.सी. 482 से 489 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का मामला दर्ज होना अथवा सजायाब होना नहीं मानते हुए एवं आबकारी आयुक्त द्वारा लाल कृष्ण बनाम जिला आबकारी अधिकारी के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसरण में दिनांक 25.03.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया । जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने दिनांक 15.07.2014 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया । प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18.04.2014 को अपीलार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया,जिसमें अंकित किया गया कि नगर पालिका कुशलगढ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु भरी गई निविदा में आपके चयन के विरूद्ध प्रथम आरक्षित रहे प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि आपके विरूद्ध न्यायालय प्रथम श्रेणी जोबेट(मध्य प्रदेश) में अभियोग संख्या 38/12 दिनांक 30.01.2012 पंजीकृत है,इसलिए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950(जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र हेतु पात्रता नही रखता है,अतः अपीलार्थी का कुशलगढ नगर पालिका क्षेत्र में खुदरा बिक्री हेतु भारत द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु वर्ष 2014—14 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर उसे (प्रत्यर्थी संख्या एक) को आवंटित किया जाये। जिला आबकारी,बांसवाडा द्वारा अधिनियम की धारा 34 में उल्लेखित नियमों अथवा नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट,1985 तथा सी.आर.पी.सी. 482 से 489 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का मामला दर्ज होना अथवा सजायाब होना नहीं मानते हुए एवं आबकारी आयुक्त द्वारा लाल कृष्ण बनाम जिला आबकारी अधिकारी के प्रकरण में

पारित निर्णय के अनुसरण में दिनांक 25.03.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया।

उनका कथन है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत पत्र की जांच करने के पश्चात अपीलार्थी को भारत निर्मित मदिरा एवं बीयर दुकान के आवंटन हेतु अपात्र नहीं मानकर आदेश दिनांक 25.03.2014 पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या एक के शिकायती आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा आयुक्त,आबकारी के समक्ष अपील संख्या 15/14 प्रस्तुत करने पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त,आबकारी ने अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 7.2 एवं 7.3 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए दिनांक 15.07.2014 को निर्णय पारित कर अपील स्वीकार अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि आबकारी आयुक्त का निर्णय न्याय, नियम एवं उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है । उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 34 में उल्लेखित नियमों अथवा नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट,1985 तथा सी.आर.पी.सी. 482 से 489 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का मामला दर्ज नहीं होने से तथा राजस्थान सरकार के अधीन किसी प्रकरण में सजायाप्ता नहीं होने से अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाना अविधिक एवं अनुचित है।

उन्होंने तर्को को आगे बढाते हुए कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षक वृत बांसवाडा से प्रेषित जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन कर अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 34 अथवा अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं मानते हुए एवं अन्य राज्यों में दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण लागू नहीं होता है। उनका कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवैधानिक रूप से अधिनियम की धारा 34(1)(डी) व शर्त संख्या 7.3 अनुज्ञापत्र के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2014 से निरस्त किया जाना त्रुटि पूर्ण है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 34 की अवहेलना किसी भी प्रकार से नहीं की गई है और ना ही उक्त धारा में उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत जांच में कोई अभियोग दर्ज है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी जोबट,अलीराजपुर,मध्य प्रदेश का निवासी है,के विरूद्ध बहैसियत नौकर प्रकरण संख्या 38/12 दिनांक 30.01.20123 न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जोबेक में विचाराधीन है, किन्तु अधिनियम की धारा 34 में उल्लेखित व एन. डी.पी.सी.अधिनियम,1985 के अन्तर्गत कोई अभियोग दर्ज नहीं है और ना अपीलार्थी सजायाब व्यक्ति है,इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधिनियम की धारा 34(1)(डी) की

गलत व्याख्या करते हुए जिला आबकारी के आदेश दिनांक 25.03.2014 को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र को विधि सम्मत जारी होना नही मानते हुए अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 15.07.2014 अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आबकारी आयुक्त के निर्णय दिनांक 15.07.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 7.3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि "यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से, मदिरा,अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादब पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका सम्बन्ध हैं जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का सन्देह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।" उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 38/2012 दिनांक 30.01.2012 अधिनियम की धारा 34 क, 36 एवं 42 के अन्तर्गत न्यायालय दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जोबेट (मध्य प्रदेश) में विचाराधीन होने के बाद भी इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा छुपाया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 7.3 का उल्लंघन किये जाने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का निर्णय दिनांक 15.07.2014 पारित किया गया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3827/2009 तारा सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2009 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार वर्ष 2014—15 के लिए मदिरा बिक्री हेतु निविदा जारी होने पर अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका एरिया,कुशलगढ पर दुकान हेतु निविदा भरी गई,जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा वर्ष 2014 के लिए दिनांक 20.02.2014 को लॉटरी प्रक्रिया से अपीलार्थी को सफल आवेदक चयनित किया जाकर कुशलगढ नगर पालिका क्षेत्र में खुदरा बिक्री हेतु भारत द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु वर्ष 2014—14 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक लाइसेन्स फीस अपीलार्थी द्वारा जमा कराये जाने पर मदिरा एवं बीयर की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञा पत्र दिनांक 01.04.2014—2015 के लिए अपीलार्थी के नाम जारी किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18.04.2014 को अपीलार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया,जिसमें अंकित किया गया कि नगर पालिका कुशलगढ में भारत निर्मित

विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु भरी गई निविदा में आपके चयन के विरूद्ध प्रथम आरक्षित रहे प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि आपके विरूद्ध न्यायालय प्रथम श्रेणी जोबेट(मध्य प्रदेश) में अभियोग संख्या 38/12 दिनांक 30.01.2012 पंजीकृत है,इसलिए राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950(जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र हेतु पात्रता नही रखता है,अतः अपीलार्थी का कुशलगढ नगर पालिका क्षेत्र में खुदरा बिक्री हेतु भारत द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान हेतु वर्ष 2014—14 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर उसे (प्रत्यर्थी संख्या एक) को आवंटित किया जाये। जिला आबकारी,बांसवाडा द्वारा अधिनियम की धारा 34 में उल्लेखित नियमों अथवा नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट,1985 तथा सी.आर.पी.सी. 482 से 489 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का मामला दर्ज होना अथवा सजायाब होना नहीं मानते हुए एवं आबकारी आयुक्त द्वारा लाल कृष्ण बनाम जिला आबकारी अधिकारी के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसरण में दिनांक 25.03.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया । जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने दिनांक 15.07.2014 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया ।

आबकारी आयुक्त के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 7.3, उद्धरित करना समीचीन होगा,जिसके आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया है,जो निम्न प्रकार है :—

"यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से, मदिरा,अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादब पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका सम्बन्ध हैं जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का सन्देह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।"

आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि "अप्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा मामले की पूर्ण जांच न कर अप्रार्थी श्री बबलू को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है वह राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950 की धारा 34 (1)(घ) के प्रावधान एवं अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 7.3 का स्पष्ट उल्लंघन होने से आदेश दिनांक 25.03.2014 विधि सम्मत नहीं है।"

प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3827/2009 तारा सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2009 उद्धृत किया गया है,जिसके तथ्य भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या एक को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

आबकारी आयुक्त ने उपरोक्त निष्कर्ष में माना है कि अपीलार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का है,इसका कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह टिप्पणी स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में अंकित किया कि जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा पूर्ण रूप से मामले में जांच नही की गई है, जिसका कोई तार्किक कारण ना तो आदेश में अंकित किया है और ना ही ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली उपलब्ध पर है जिससे पूर्ण जांच नहीं करवाने का बल मिलता है। यदि उन्हें सन्देह था तो पुनः जांच करवानी चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसा नही किया है, इसलिए उनके आदेश को पुष्ट किया जाना यह पीठ उचित नहीं मानती है, इसलिए उनके द्वारा दिये गये निष्कर्ष को उचित नहीं है।

प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आबकारी आयुक्त को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण की पुनः जांच करवाने के पश्चात, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः विधि एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष